जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधिः संक्षिप्त परिचय

(District Mineral Foundation Trust Fund: An Introduction)

2019

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर

(Budget Analysis and Research Center Trust, Jaipur)

ईमेल : barctrust@gmail.com वेबसाइट : www.barctrust.org

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून खानों के विनियम और खनिजों के विकास के लिए अधिनियम (1957) बनाया गया था जिसे साल 2015 में संशोधित किया गया। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास के लिए हर जिले में एक फाउंडेशन की स्थापना की गयी जिसे जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (District Mineral Foundation Trust- DMFT) के नाम से जाना जाता है। इस न्यास एवं निधि के संचालन के निये राजस्थान सरकार ने राजस्थान जिला खनीज प्रतिष्ठान न्यास नियम 2016 लागू किया जिसे 2018 में संशोधित किया गया। इसका मुख्य पृष्ठ परिशिष्ट संख्या 1 पर संलग्न है।

इसके अनुसार खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को रॉयल्टी के अलावा जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान को कुछ राशि का भुगतान करना होता है। इसके प्रावधानों के अनुसार 12 जनवरी, 2015 से पहले खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी का 30 प्रतिशत एवं 12 जनवरी, 2015 को या उसके बाद प्रदान किये जाने वाले संभावित लाइसेंस–सह–खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को करना होता है।

इस राशि के सही उपयोग और प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के विकास हेतु वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने एक नियम पारित किया जिसके तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) की स्थापना की गयी। इसका कार्यालय प्रत्येक जिले के जिला परिषद् कार्यालय में होता है। इस निधि से किये जाने वाले कार्यों/गतिविधियों को ही प्रधानमंत्री प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के उद्देश्यः

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लागू करना। ये कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे।
- खनन क्षेत्र के जिलों में खनन के दौरान और बाद में लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर, गलत प्रभाव को कम करना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए लम्बे समय के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए।

निधि का उपयोगः

पीएमकेकेकेवाई के तहत निम्न कार्य करवाये जा सकते हैं।

(1) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रः– पीएमकेकेकेवाई की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये। नियम के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र/मद निम्न हैं:

- **पेयजल आपूर्तिः** पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइप लाईन बिछाना, केन्द्रीयकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र।
- **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायः** जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू–जल एवं अन्य जल स्रोतों के प्रदुषण का निवारण, खनन गतिविधियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायु और भूमि प्रदुषण को नियंत्रित करना।

- **स्वास्थ्य देखभालः** प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रीत करना एवं ईएसआई सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था पर भी ज़ोर देना।
    - राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध राशि को खनन से सम्बंधित रोगों और बीमारियों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना तैयार करने में उपयोग किया जा सकेगा।
    - खनन गतिविधियों एवं कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कामकारों के कल्याण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार और सुरक्षा के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए धन का उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामूहिक बीमा योजना क्रियांवित की जा सकती है।
- **शिक्षाः** विद्यालय के भवनों, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसंरचना, ई–लर्निंग सेट–अप की व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं और पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था।
- **महिलाओं और बच्चों का कल्याणः** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम इस योजना के अधीन शुरू किये जा सकेंगे।
- **वृद्ध और विकलांग लोगों का कल्याणः** वृद्ध और निःशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
- **कौशल विकासः** कौशल विकास केंद्र का विकास, प्रशिक्षण, स्व–रोजगार योजनाओं का विकास एवं स्वयं–सहायता समूहों को समर्थन।
- **स्वच्छताः** अपशिष्ट के संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास, मल–प्रवाह उपचार संयंत्र की व्यवस्था और शौचालयों की व्यवस्था।

(2) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रः निम्नलिखित क्षेत्रों/मदों के अंतर्गत पीएमकेकेकेवाई की 40 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग निम्न अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/मदों में किया जा सकता है।

- **भौतिक मूलढ़ांचाः** ढ़ांचागत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं जैसे– सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग का निर्माण करना।
- **सिंचाईः** सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीके अपनाना।
- **ऊर्जा और वाटरशेड विकासः** ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास तथा वृक्षारोपण।
- खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय करना।

लाभार्थी– राजस्थान का जिला खनिज न्यास नियम के अनुसार इसके लाभार्थी वो क्षेत्र एवं व्यक्ति हैं जो क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों से प्रभावित हैं और इसमें वे मरीज़ और उनके कानूनी वारिस भी शामिल हैं जो रिहैब (RHAB) से लाभ लेने के हक़दार हैं।

प्रभावित क्षेत्र व व्यक्तिः PMKKKY से संबधित आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति निम्न हैं:

प्रभावित क्षेत्रः

1. प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः जहां प्रत्यक्ष खनन संबंधी गतिविधियां/कार्य जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोट करना और अत्यधिक भरा हुआ कचरे का मैदान, अपशिष्ट युक्त तालाब इत्यादि स्थित हों।

- गांव और पंचायतें जिनके भीतर, खानें स्थित और क्रियाशील हों। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, खंड या जिले।
- किसी खान या खानों के समूह के ऐसे दायरे के भीतर का कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो।
- ऐसे गांव जिनमें खानों द्वारा विस्थापित किये गए परिवारों को परियोजना अधिकारियों द्वारा फिर से पुनर्वासित किया गया है।
- ऐसे गांव जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यरूप से खनन क्षेत्रों पर प्रमुखता से निर्भर हैं।

2. अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः वे क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन सम्बन्धी गतिविधियों/क्रियाओं के चलते आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं जैसे जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता में खराब होना, झरनों की कमी, प्रदुषण इत्यादि।

प्रभावित व्यक्तिः–

1. प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित व्यक्तियों में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो खनन की जाने वाली भूमि पर कानूनी एवं पेशेगत अधिकार रखते हैं और वे भी जो भोगाधिकार एवं पारंपरिक अधिकार रखते हों।

- प्रभावित परिवारों की पहचान जहां तक संभव हो ग्राम–सभा के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से की जानी चाहिए।
- ट्रस्ट द्वारा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदायों की एक सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है।

काम कैसे होता हैः

ट्रस्ट के समस्त निर्णय शासी परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान है। प्रबंध समिति की जिम्मेदारी परियोजनाओं को मंजूर करना और परियोजना से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाना है।

शासी परिषद् के कार्यः

- ट्रस्ट के कामकाज के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाना।
- ट्रस्ट के लिए वार्षिक कार्ययोजना और वार्षिक बजट तैयार करना।
- प्रबंध समिति की सिफारिशें अनुमोदित करना।

जिले में खनन संबंधी गतिविधियों के कारण प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक मदद एवं लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेगी।

शासी परिषद् की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।

शासी परिषद् के सदस्यः

जिला प्रमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष व जिला मजिस्ट्रेट उपाध्यक्ष होते हैं एवं जिला विधानसभा के समस्त सदस्य, जिले में पदस्थापित खनन अभियंता, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खनन गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि एवं कुछ अन्य व्यक्ति भी इस ट्रस्ट के सदस्य होते हैं।

तालिकाः 1 – जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के न्यासी

क्र. सं.	नाम	न्यास के शासी परिषद में न्यासी का पद

1	जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2	जिला मजिस्ट्रेट	उपाध्यक्ष
3	जिला विधान सभा के समस्त सदस्य	न्यासी
4	जिले में पदस्थापित खनन अभियंता	सदस्य सचिव
5	उप वन संरक्षक	सदस्य
6	कोषाधिकारी	सदस्य
7	कार्यपालक अभियंता	सदस्य
8	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल का प्रतिनिधि	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
10 (i)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
10 (ii)	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
10 (iii)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
10 (iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
10 (v)	अधिक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
10 (vi)	प्रतिनिधि, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
10 (vii)	अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
10 (viii)	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
10 (ix)	उप निदेशक, समेकित बाल विकास योजना (ICDS)	सदस्य
12	सरकार द्वारा नामित खनन कार्यों के कारण प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि (पांच तक)।	नामित ट्रस्टी
13	सरकार द्वारा नामित खनन कामगारों के प्रतिनिधि (दो तक)।	नामित ट्रस्टी
14	सरकार द्वारा नामित खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन	नामित ट्रस्टी
15	सरकार द्वारा नामित जिले में कार्य कर रहे तकनीकी खनन व्यक्ति	नामित ट्रस्टी
16	सरकार द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	नामित ट्रस्टी

प्रबंध समितिः ट्रस्ट के कार्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित किये जाने का प्रावधान है। प्रबंध समिति की बैठ़क दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिये।

प्रबंध समिति के कार्य–

- ट्रस्ट के कामकाज के लिए मास्टर प्लान बनाना।
- प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ ट्रस्ट की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करना।
- नियमों के अनुसार सम्बंधित खनिज रियायत धारकों से अंशदान निधि का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करना।
- ट्रस्ट निधि को सावधानीपूर्वक नियमों के अनुसार में संचालित करेगी और ट्रस्ट के नाम एक बैंक खाता खोलेगी और ऐसे खाते को संचालित करेगी।
- न्यास निधि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी।

तालिकाः 2– प्रबंध समिति के सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी

क्र. सं.	नम	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	जिले में पदस्थापित खनन अभियंता	सदस्य सचिव
3.	उप वन संरक्षक	सदस्य
4.	कोषाधिकारी	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता	सदस्य
6.	जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7.	राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8 (i)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
8 (ii)	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
8 (iii)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
8 (iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
8 (v)	अधिक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
8 (vi)	प्रतिनिधि, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
8 (vii)	अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
8 (viii)	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
8 (ix)	उप निदेशक, समेकित बाल विकास योजना (ICDS)	सदस्य
9.	सरकार द्वारा नामित खान अभियंता, सहायक खनि अभियंता कार्यालय में पदिस्थापित लेखा कार्मिक	सदस्य
10.	सरकार द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	सदस्य

पारदर्शिता का अनुपालनः प्रत्येक जिले का ट्रस्ट अपनी एक वेबसाइट तैयार करेगा जिस पर निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की जायेंगी।

- ट्रस्ट की संरचना के ब्यौरे।
- खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची।
- पट्टेदारों और अन्य से प्राप्त सभी अंशदानो के तिमाही ब्यौरे।
- न्यास की सभी बैठकों की कार्य सूची।
- वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट।
- विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियो की सूची।

न्यास द्वारा अपने जिम्मे ली गई सभी परियोजनाओं की प्रगति, कार्य के विवरण, हिताधिकारियों के ब्यौरे, प्राक्कलित लागत, कार्य प्रारंभ करने और पूर्ण होने की संभावित तारीख इत्यादि को वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

तालिकाः 3– राजस्थान में जिलेवार डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं राशि (मई, 2018 तक)

जिला	पट्टों की संख्या	डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं			स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
		उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र	कुल	
अजमेर	1080	–	–	–	–
अलवर	273	–	–	–	–
बांसवाड़ा	125	35	0	35	44.25

बारां	44	6	0	6	11.59
बाड़मेर	457			196	1347
भरतपुर	665	—	—	—	—
भीलवाड़ा	1217	403	91	494	22394
बीकानेर	253	0	5	5	14.25
बूंदी	896	42	0	42	409
चितौड़गढ़	170			265	3110
चुरू	217	9	6	15	77.36
दौसा	118	7	0	7	22.74
धोलपुर	194	—	—	—	—
डूंगरपूर	152	12	0	12	48.29
हनुमानगढ़	0	35	1	36	349
जयपुर	1260	72	1	1	369
जैसलमेर	590	—	—	—	—
जालौर	602	5	0	5	12.70
झालावाड़	125	—	—	—	—
झुन्झुनूं	478	7	2	9	101
जोधपुर	538	—	—	—	—
करौली	295	—	—	—	—
कोटा	162	19	14	33	932
नागौर	1054	—	—	—	—
पाली	429	42	1	43	1447
प्रतापगढ़	119	3	1	4	52.93
राजसमन्द	2140	341	131	472	11655
सवाई माधोपुर	137	4	1	5	51.69
सीकर	674	63	2	65	330
सिरोही	329	6	3	9	419
श्रीगंगानगर	12	27	13	40	195
टोंक	170	—	—	—	—
उदयपुर	765	138	9	147	3915

स्रोतः विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध 31 मई, 2018 तक की जानकारी के आधार पर (http://mines.rajasthan.gov.in/DMFT/)

राज्य के सभी जिलों में कुल मिलाकर करीब 4867.04 करोड़ रूपए की योगदान राशि एकत्रित हुई है एवं करीब 8583 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से करब 3905 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृती जारी करके 686.26 करोड़ रूपए की राशि की जारी की चुकी है।

परिशिष्ट – 1

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 11, शुक्रवार, शाके 1940–जून 1, 2018
Jyaistha 11, Friday, Saka 1940–June 1, 2018

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

Mines (Gr.II) Department

NOTIFICATION

Jaipur, June 1, 2018

G.S.R.36 .-In exercise of the powers conferred by section 9B, sub-section (4) of section 15 and section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the District Mineral Foundation Trust Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Mineral Foundation Trust (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the District Mineral Foundation Trust Rules, 2016, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "The District", the expression "the Rajasthan District" shall be substituted.

3. Amendment of rule 5.- In rule 5 of the said rules,-

(i) in table of sub-rule (1), after the existing serial number (ii) and entries thereto and before the existing serial number (iii) and entries thereto, the following new serial (ii-a) and entries thereto shall be inserted, namely:-

"(ii-a) All Members of the Parliament representing the areas of the District - Trustee

"

No.16/7/2015-M.VI (Part)
Government of India
Ministry of Mines

New Delhi, Shastri Bhawan
Dated the, 16th September, 2015

ORDER

WHEREAS in terms of the provisions of sub-section (1) of section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act, 1957 (67 of 1957), the State Governments shall, by notification, establish a District Mineral Foundation in every district in the country affected by mining related operations.

AND WHEREAS mining related operations largely affect less developed and very remote areas of the country, and vulnerable sections of the population, especially Scheduled Tribes, therefore, it is especially necessary that special care and attention is devoted, in an organized and structured manner so as to ensure that these areas and affected persons are benefitted by the mineral wealth in their regions and are empowered to improve their standard of living.

AND WHEREAS in terms of sub-section (3) of section 9B, the rules for the functioning of the District Mineral Foundations are to be prescribed by the State Governments.

AND WHEREAS the Central Government, on a careful consideration of the matter, is of the opinion that the national interest requires that all District Mineral Foundations should implement a development programme for the mining affected areas that includes a certain minimum provision for the social and infrastructure needs of the population and area, and the Central Government has, accordingly, framed the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana to be implemented by the District Mineral Foundations from the funds accruing to them in terms of the MMDR Act, 1957.

NOW THEREFORE the Central Government in exercise of the powers conferred under section 20A of the MMDR Act, 1957, in the national interest hereby directs the concerned State Governments to incorporate the 'Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana' (the details of which are annexed herewith) into the rules framed by them for the District Mineral Foundations and to implement the said Scheme.

(R. Sridharan)
Additional Secretary to the Government of India

Enclosure: Details of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (6 pages)

1. Chief Secretaries of all States
2. Administrators of Union Territories

Copy for information to:
PS to Minister for Steel and Mines; PS to Minister of State for Steel and Mines; PPS to Secretary (Mines)